

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- ल

प्रथम अपील संख्या 39/2023

रामोतार मीणा निवासी भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो0
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.02.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने मिसल नम्बर 39/2023 पर दिनांक 08.02.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक 841-42 दिनांक 08.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक पीए/सू0आ दिनांक 28.02.2023 द्वारा अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा द्वारा चाही कार्यालय के पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 27.02.2023 द्वारा जरिये पंजीकृत डाक से है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक पीए/सू0आ दिनांक 28.02.2023 द्वारा अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा द्वारा चाही कार्यालय के पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 27.02.2023 द्वारा जरिये पंजीकृत डाक से है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील मानव अधिकार आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 02.03.2023 को खुले न्यायालय में



(एल0ए
जिला कल
नियमा के